

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

करोड़ों सैलरी क्लास के लिए खुशखबरी : PF खातों में आया ब्याज, ऐसे करे चेक ।

Publisher

Published on 09 Jul 2025



कर्मचारियों के PF अकाउंट में 8.25% ब्याज जमा, EPFO ने शुरू की प्रक्रिया, जाने अपने खाते का बैलेस कैसे चेक करे ।

नई दिल्ली : सैलरी क्लास के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है । **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घोषित **8.25% ब्याज दर** के तहत करोड़ों **पीएफ खातों** में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है ।

केन्द्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, अब तक करीब **97% खातों** में ब्याज की रकम जमा हो चुकी है और इस सप्ताह के अंत तक बाकी सभी खातों में भी यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ।

कितने खातों में आया ब्याज ?

श्रम मंत्री ने बताया कि 13.88 लाख कंपनियों के करीब 33.56 करोड़ खातों में ब्याज जमा करने की योजना थी, जिसमें से अब तक 8 जुलाई 2025 तक 32.39 करोड़ खातों में राशि जमा की जा चुकी है ।

सरकार ने **22 मई 2025** को **8.25% ब्याज दर** को मंजूरी दी थी, जिसके बाद **6 जून** से खाते अपडेट करने का काम शुरू हुआ था ।

कैसे चेक करे PF अकाउंट में जमा ब्याज ?

उमंग ऐप के जरिए चेक करें:

1. सबसे पहले **UMANG** ऐप डाउनलोड करे ।
2. **EPFO** सेक्शन में जाएं और 'View Passbook' विकल्प चुने ।
3. अपने **UAN** नंबर और **OTP** के जरिए लॉगिन करे ।

४. पासबुक में जमा हुआ ब्याज देख सकते हैं।

EPFO की वेबसाइट से चेक करें:

१. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
२. 'Our Services' > 'For Employees' > 'Member Passbook' सेक्शन में जाएं।
३. अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
४. संबंधित मेबर ID पर क्लिक कर ब्याज की रकम चेक करें।
५. पासबुक को PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

हर साल जमा होता है ब्याज

हर साल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद **EPFO** खाताधारकों के खातों में ब्याज की राशि जमा करता है। इस साल की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जो खाते बचे हैं उनमें भी जल्द ही पैसा आ जाएगा।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.